मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् १९९४

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, १९९४.

[दिनांक ३ जून, १९९४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र, (असाधारण)" में दिनांक ८ जून, १९९४ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों के आरक्षण के लिए तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, १९९४ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) किसी स्थापन में किसी सेवा या पद के संबंध में, "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसी सेवा में पद पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी;

(ख) "स्थापन" से अभिप्रेत है राज्य सरकार का या तत्समय प्रवृत्त राज्य के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी स्थानीय प्राधिकरण या कानूनी प्राधिकरण का या किसी विश्वविद्यालय का या किसी ऐसी कम्पनी, निगम या किसी सहकारी सोसाइटी का, जिसमें समादत्त अंश पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा धारित है, कोई कार्यालय और उसके अन्तर्गत ऐसा स्थापन आता है जिसमें कार्यभारित या आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता है;

(ग) "आरक्षण" से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए पदों का आरक्षण;

(घ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ङ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है.

(च) "लोक सेवाएं तथा पद" से अभिप्रेत है स्थापन के किसी कार्यालय में की सेवाएं तथा पद.

Principal
Chandrapal dadsena Govt.
College Pithora
Distt-Mahasamund(C.G.)

(छ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ. ८.५-पच्चीस-४-८४, तारीख २६ दिसम्बर, १९८४ द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ज) किसी रिक्ति के संबंध में "भर्ती का वर्ष" से अभिप्रेत है किसी वर्ष की पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की कालावधि, जिसके भीतर ऐसी रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है.

अधिनियम का लागू होना.

३. यह अधिनियम इस अधिनियम में यथा परिभाषित स्थापन को लागू होगा किन्तु निम्नलिखित नियोजनों को लागू नहीं होगा :—

(१) भारत सरकार के अधीन कोई नियोजन;

(२) सरकारी सेवकों की मृत्यु के कारण या सरकार के सामान्य आदेशों के अनुसार अन्यथा की जाने वाली अनुकम्पा नियुक्तियां;

(३) स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले पद;

(४) आकस्मिक नियुक्तियां;

(५) मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा में की गई नियुक्तियां.

पदों के आरक्षण के लिये प्रतिशतता का नियत किया जाना.

४. (१) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन जब तक कि अन्यथा उपबंधित न किया जाए, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित पद ऐसे सदस्यों से नहीं भरे जाएंगे जो यथा स्थिति, ऐसी जातियों या जनजातियों या वर्गों के नहीं हैं.

(२) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, लोक सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए सीधी भरती के प्रक्रम पर निम्नानुसार आरक्षण रखा जाएगा :—

(एक) राज्य स्तर पर किसी भरती के वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों के संबंध में निम्नलिखित प्रतिशत —

(क) प्रथम वर्ग तथा द्वितीय वर्ग के पदों में —

अनुसूचित जाति	१५ प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	१८ प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	१४ प्रतिशत

(ख) तृतीय वर्ग तथा चतुर्थ वर्ग के पदों में —

अनुसूचित जाति	१६ प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	२० प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	१४ प्रतिशत

(दो) संभाग या जिला स्तर पर किसी भरती के वर्ष में किसी स्थापन में तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग पदों के ऐसे

Principal
Chandrapal dadsena Govt.
College Pithora
Distt-Mahasamund(C.G.)

प्रवर्गों में, उद्भूत होने वाली रिक्तियों का प्रतिशत ऐसा होगा जो कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए.

(तीन) ऊपर (एक) और (दो) में यथापूर्वोक्त रिक्तियों पर नियुक्तियां ऐसे रोस्टर के अनुसार की जाएगी, जैसा कि विहित किया जाए :

परन्तु पूर्वोक्त आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्गों को लागू नहीं होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संपन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के रूप में अधिसूचित किए जाएं.

(३) (क) यदि किसी भर्ती के वर्ष के संबंध में, उपधारा (२) के अधीन व्यक्तियों के किसी प्रवर्ग के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरी रह जाती है तो ऐसी रिक्ति आगामी या किसी पश्चातवर्ती भर्ती के वर्ष में भरी जाने के लिए अग्रनीत की जाएगी.

(ख) जब कोई रिक्त पूर्वोक्त रीति में अग्रनीत की जाती है तो उसकी गणना उस भर्ती के वर्ष के लिए, जिसमें वह अग्रनीत की गई है, व्यक्तियों के संबंधित प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्तियों के कोटे पर नहीं की जाएगी :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी बिना भरी ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किसी भी समय विशेष भर्ती कर सकेगा और यदि ऐसी रिक्ति ऐसी विशेष भर्ती के पश्चात् भी बिना भरी रह जाती है तो वह ऐसी रीति में भरी जाएगी जैसी राज्य सरकार विहित करे.

(४) यदि उपधारा (२) में उल्लिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग से संबंधित कोई व्यक्ति सामान्य अभ्यर्थियों के साथ खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर चयनित हो जाता है तो उसे उपधारा (२) के अधीन ऐसे प्रवर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा.

(५) यदि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को, पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार के आदेशों के अधीन आरक्षण लागू है तो ऐसे सरकारी आदेश तब तक लागू बने रहेंगे जब तक उन्हें उपांतरित या विखण्डित नहीं कर दिया जाता है.

अधिनियम के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व और शक्तियां.

५. (१) राज्य सरकार आदेश द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को, इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व सौंप सकेगी.

(२) राज्य सरकार, उपधारा (१) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी में, इसी रीति में, ऐसी शक्तियां या प्राधिकार विनिहित कर सकेगी जो उपधारा (१) के अधीन उसे सौंपे गये उत्तरदायित्व के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक हों.

शास्ति.

६. (१) कोई नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसा अधिकारी या कर्मचारी जिसे धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है, ऐसी रीति में जानबूझकर कार्य करता है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों का उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के लिये आशयित है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा.

(2) कोई भी न्यायालय, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा.

Principal
Chandrapal dadsena Govt.
College Pithora
Distt-Mahasamund(C.G.)

७. यदि राज्य सरकार को जानकारी में यह बात आती है कि धारा ४ की उपधारा (२) में उल्लिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग का कोई व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों या इस निमित्त सरकारी आदेशों के अननुपालन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है तो वह नियुक्ति प्राधिकारी के अभिलेखों को मंगा सकेगी और ऐसी कार्रवाई कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे. — अभिलेख मंगाने की शक्ति.

८. राज्य सरकार, आदेश द्वारा चयन/छानबीन या पदोन्नति समिति में चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जहां ऐसी समिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों के, लोक सेवा या पद पर नियुक्ति या पदोन्नति के लिए व्यक्ति का चयन करने के प्रयोजन के लिए या तो सेवा नियमों के अधीन या अन्यथा गठित की जाती है, ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति में जैसा वह आवश्यक समझे, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों का नामनिर्देशन करने के लिए उपबंध कर सकेगी. — चयन समिति में प्रतिनिधित्व.

९ (१) राज्य सरकार, आदेश द्वारा धारा ४ की उपधारा (२) में उल्लिखित व्यक्तियों के प्रवर्गों के पक्ष में, किसी प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस के संबंध में ऐसी रियायतें मंजूर कर सकेगी और उच्चतर आयु सीमा को शिथिल कर सकेगी जैसी वह आवश्यक समझे. — रियायत और शिथिलीकरण.

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के प्रवर्गों के पक्ष में अन्य रियायतों और शिथिलीकरणों, जिसके अन्तर्गत किसी प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस में रियासत और उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण भी सम्मिलित है और सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को प्रवृत्त सरकार के आदेश, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, लागू बने रहेंगे जब तक कि उन्हें यथा स्थिति, उपान्तरित या विखण्डित नहीं कर दिया जाता है.

१०. इस अधिनियम के अधीन दिए गए आरक्षण के प्रयोजनों के लिए जाति प्रमाण-पत्र, ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबंध करे, जारी किया जाएगा और जब तक ऐसा उपबंध नहीं किया जाता है, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को प्रवृत्त आदेश लागू बने रहेंगे. — जाति प्रमाण-पत्र.

११. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो कठिनाइयां दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों. — कठिनाइयों को दूर किया जाना.

१२. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी. — सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

१३. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी. — नियम बनाने की शक्ति.

१४. इस अधनियम के प्रारंभ होने के पश्चात्, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में की गई समस्त नियुक्तियां शून्यकरणीय होंगी. — अनियमित नियुक्तियां शून्यकरणीय होंगी.

१५. (१) राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग द्वारा और उसके अधीनस्थ प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी या स्थापन द्वारा की गई नियुक्तियों की एक अधिवार्षिक रिपोर्ट उसके द्वारा राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जनवरी से जून तक की कालावधि के लिए अगस्त मास में और जुलाई से दिसम्बर तक की कालावधि के लिए फरवरी मास में प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जाएगी और उससे संबंधित सुसंगत अभिलेख ऐसी रीति में रखे जाएंगे जो विहित की जाए. — नियुक्तियों की अर्धवार्षिक रिपोर्ट.

Principal
Chandrapal dadsena Govt.
College Pithora
Distt-Mahasamund(C.G.)

(२) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे अभिलेखों की परीक्षा कर सकेगा या नियुक्तियों से संबंधित अभिलेख और रोस्टर नियुक्ति प्राधिकारी से मंगा सकेगा.

(३) नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे अभिलेख या दस्तावेजों, जानकारी, सहायता और सेवाएं, जो उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित की जाए, जब भी उनकी मांग की जाती है, उपलब्ध कराए.

संपर्क अधिकारी.

१६. प्रत्येक स्थापन में इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए राज्य सरकार के समस्त विभाग, प्रथम वर्ग के अधिकारी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी अधिकारी को नाम निर्देशित करेंगे और इस प्रकार नियुक्त संपर्क अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे.

स्थायी समिति का गठन.

१७. (१) एक स्थायी समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(१) मंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण अथवा मंत्री, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मध्यप्रदेश—अध्यक्ष.

(२) मध्यप्रदेश विधान सभा के पांच सदस्य, जो अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाएंगे जिनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग में से प्रत्येक का एक-एक सदस्य होगा—सदस्य.

(३) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का प्रभारी सचिव—सदस्य.

(४) मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का प्रभारी सचिव—सदस्य सचिव.

(२) स्थायी समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा ऐसी कालावधि के लिए किया जाएगा, जो विहित की जाए.

स्थायी समिति के कृत्य.

१८. स्थायी समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन;

(ख) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उपायों का सुझाव देना;

(ग) ऐसे अन्य कृत्य, जो राज्य सरकार समय-समय पर समिति को सौंपे.

वार्षिक रिपोर्ट.

१९. राज्य सरकार इस अधिनियम के कार्यकरण पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे विधान सभा के समक्ष रखेगी.

आदेश आदि का रखा जाना.

२०. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाये गये समस्त नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे.

व्यावृत्ति.

२१. इस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, उनके अल्पीकारक नहीं.

Principal
Chandrapal dadsena Govt.
College Pithora
Distt-Mahasamund(C.G.)

भोपाल, दिनांक ८ जून १९९४

क्र. ६७७०-इक्कीस-अ (प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, १९९४ (क्रमांक २१ सन् १९९४) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 21 OF 1994

THE MADHYA PRADESH LOK SEVA (ANUSUCHIT JATIYON, ANUSUCHIT JAN JATIYON AUR ANYA PICHHADE VARGON KE LIYE ARAKSHAN) ADHINIYAM, 1994

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title, extend and Commencement.
2. Definitions.
3. Application of the Act.
4. Fixation of percentage for reservation of posts.
5. Responsibility and powers for compliance of the Act.
6. Penalty.
7. Power to call for record.
8. Representation in Selection Committee.
9. Concession and relaxation.
10. Caste Certificate.
11. Removal of difficulties.
12. Protection of action taken in good faith.
13. Power to make rules.
14. Irregular appointments voidable.
15. Half yearly report of appointments.
16. Liason Officer.
17. Constitution of Standing Committee.
18. Functions of Standing Committee.
19. Annual report.
20. Laying of order etc.
21. Saving.

Principal
Chandrapal dadsena Govt.
College Pithora
Distt-Mahasamund(C.G.)

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 जनवरी 2012—पौष 28, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2012

क्रमांक 368/डी. 19/21-अ/प्रा./छ. ग./12.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 07-01-2012 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

Principal
Chandrapal dadsena Govt.
College Pithora
Distt-Mahasamund(C.G.)

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 5 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलायेगा.

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

धारा 4 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(एक) प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों में राज्य स्तर पर, किसी भर्ती के वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों के संबंध में निम्नलिखित प्रतिशत :—

अनुसूचित जाति	12 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	32 प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	14 प्रतिशत"

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2012

क्रमांक 368/डी. 19/21-अ/प्रा./छ. ग./12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 5 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

Principal
Chandrapal dadsena Govt.
College Pithora
Distt-Mahasamund(C.G.)

CHHATTISGARH ACT
(No. 5 of 2012)

THE CHHATTISGARH LOK SEVA (ANUSUCHIT JATIYON, ANUSUCHIT JAN JATIYON AUR ANYA PICHHADE VARGON KE LIYE ARAKSHAN) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011

An Act to amend the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Sanshodhan Adhiniyam, 2011.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Amendment of Section 4.

2. In Section 4 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), for clause (i) of sub-section (2), the following shall be substituted, namely :—

"(i) at the state level, the following percentage of vacancies arising in a recruitment year in class I, II, III and IV posts :—

Scheduled Castes	12 percent
Scheduled Tribes	32 percent
Other Backward Classes	14 percent"

Principal
Chandrapal dadsena Govt.
College Pithora
Distt-Mahasamund(C.G.)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए

सत्र 2021–22

हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत

प्रवेश हेतु प्राथमिकता :–

स्नातक / स्नातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित / स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों / तहसीलों / जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

2 आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :–

21 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् –

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त सख्या मे से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त सख्या मे से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ–साथ अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम से पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत कम मे अन्य विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इन्हें अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

122 (1) बिन्दु क 121 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको / भूतपूर्व सैनिक स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के सबध मे क्षैतिज आरक्षण प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम

Principal
Govt College Pithora
Distt.Mahasamund(C.G.)

प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये 3 प्रतिशत् स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगें ।

4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत् स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे ।

5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू–कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितो को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एव अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि– "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13 **अधिभार :–**

अधिभार मात्र गुणानुकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण–पत्र पर अधिभार हेतु विचार नही किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 **एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स**

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ जावे।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट 02 प्रतिशत

(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट 03 प्रतिशत

Principal
Govt. College Pathor